

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2023-24/उ 3 2

दिनांक:- 15/02/2024

प्रेषिती:-

1. अमनदीप सिंह पुत्र हमीर सिंह जाति राजपूत नि. नाथावतपुरा तह. सीकर।
2. मूलचन्द सैनी पुत्र हीरालाल जाति माली नि. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की
3. अनिता पत्नी केशर देव जाति बलाई निवासी हरदयालपुरा सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम चारण का वास तह. सीकर के खसरा नम्बर 2242/284 रकबा 1.1817 है., राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा नम्बर 1345/1293 रकबा 0.0160 है. व खसरा नम्बर 1347/1294 रकबा 0.2050 है. कुल रकबा 14027.00 वर्गमीटर में से मौके पर उपलब्धानुसार 13661.00 वर्गमीटर भूमि में अन्ना नगर फेज-3 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।



उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम चारण का वास तह. सीकर के खसरा नम्बर 2242/284 रकबा 1.1817 है., राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा नम्बर 1345/1293 रकबा 0.0160 है. व खसरा नम्बर 1347/1294 रकबा 0.2050 है. कुल रकबा 14027.00 वर्गमीटर में से मौके पर उपलब्धानुसार 13661.00 वर्गमीटर भूमि में अन्ना नगर फेज-3 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

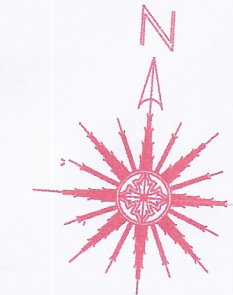
1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 3, 6, 7, 14, 15, 16 व 21) भू-खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
10. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूलस के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- योजना मानचित्र।

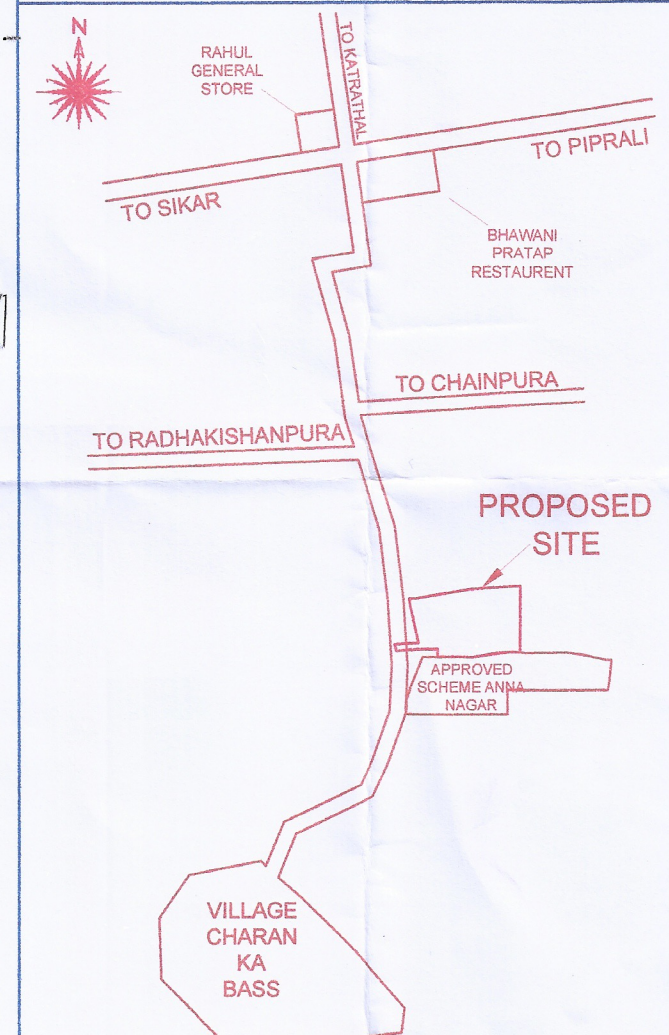
(जय कौशिक R.A.S.)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

ANNA NAGAR-3 RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO 2242/284 CHARAN KA BASS & KHASRA NO 1347/1294, 1345/1293 ,CHAINPURA, SIKAR
REVENUE VILL. -CHAINPURA, CHARAN KA BASS, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- 1. AMANDEEP SINGH S/O HAMEER SINGH, 2.MOOLCHAND SAINI S/o HEERA LAL 3.ANITA DEVI W/O KESHAR DEV



URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR



KEY-PLAN Not To Scale

AREA ANALYSIS

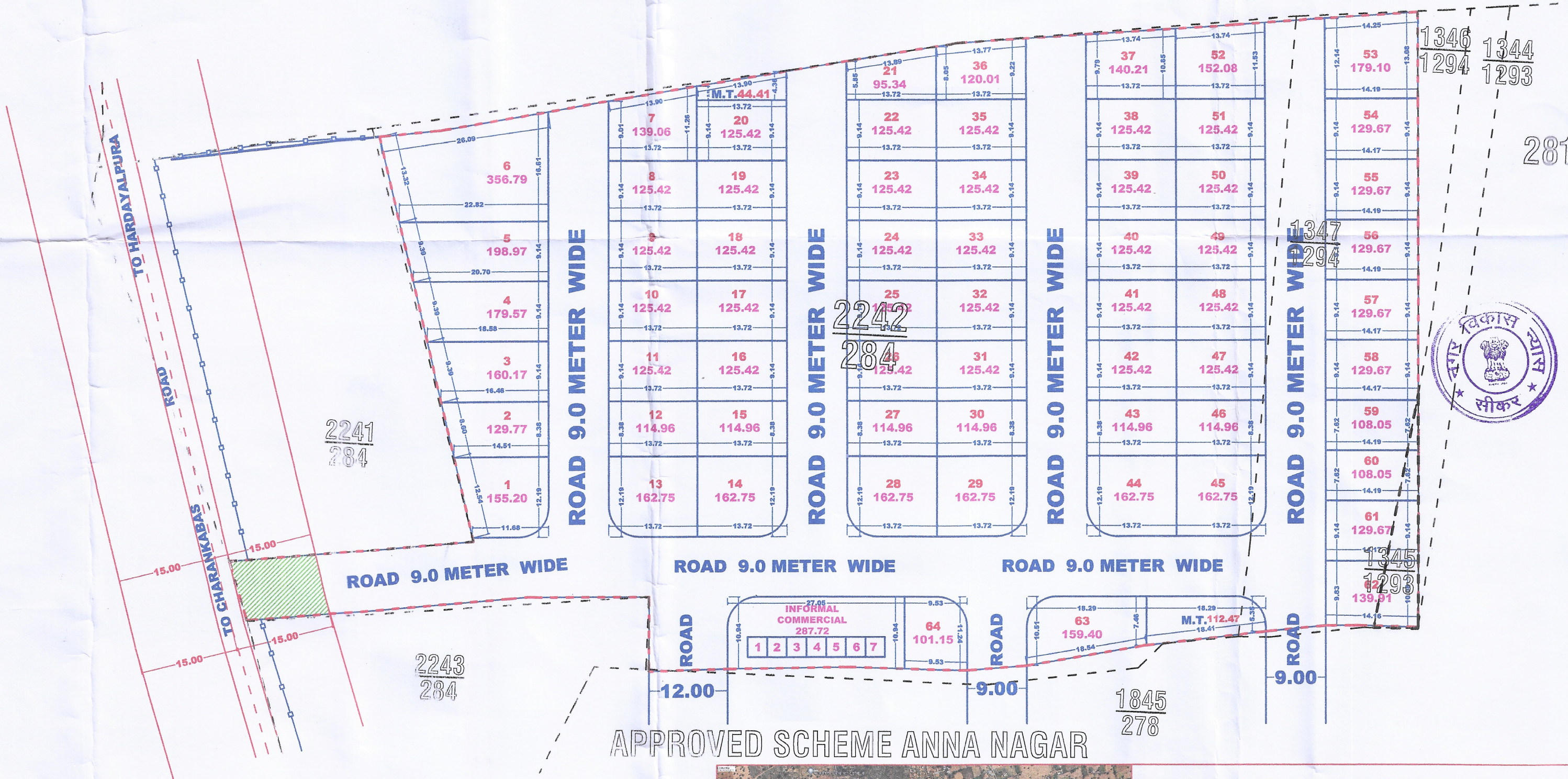
S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	8704.29	63.72%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0287.72	02.11%
3.	MOBILE TOWER	0156.88	01.15%
4.	MASTER PLAN ROAD 30.0 M.	0118.13	00.86%
5.	ROAD	4393.98	32.16 %
TOTAL		13661.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOTS	64
3.	INFORMAL COMMERCIAL	7
4.	MOBILE TOWER	2

---	SCHEME BOUNDARY
----	KHASRA LINE
---	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER
SCALE-1 C.M. =6.0 MTR



योजना का नाम ANNA NAGAR-3 Residential Scheme को ले-आउट आज दिनांक 12/02/24 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास, सीकर

सांचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

TOTAL AREA IN KH. NO. 2242/284=11817.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO. 1347/1294=2050.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO. 1345/1293=160.00 SQ. MTR
TOTAL AREA AS PER REV. RECORD=14027.00 SQ. MTR

AREA AVAILABLE AT SITE=13661.00 SQ. MTR